(21)

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**
समक्ष :**मनोज गोयल**
**अध्यक्ष**

प्रकरण कमांक निगरानी 2508–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–7–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 11/ अपील/14–15.

---

देवबख्श पुत्र स्व. रामकिशन
निवासी ग्राम लहारपुर
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदक

**विरूद्ध**

1– डॉ. भरत चतुर्वेदी, पुत्र डॉ. बी.एन. चतुर्वेदी
2– डॉ. रवि कुमार पुत्र डॉ. बी.एन. चतुर्वेदी
निवासीगण म.नं. 39, गली नं. 1
कोल्ड स्टोरेज छोला नाका, भोपाल .....अनावेदकगण

---

श्री जी.एस.गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री राकेश गिरी, अभिभाषक, अनावेदकगण

---

## :: आदेश ::

(आज दिनांक 5/7/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, एमपी नगर वृत्त भोपाल के समक्ष उसके संयुक्त स्वामित्व की भूमि ग्राम लहारपुरा स्थित सर्वे नम्बर 68, 72, 81, 85, 110/2/1, 153/2, 158/1, 167/1, 169, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 203, 204/1, 208, 209 एवं 213 कुल किता 22 रकबा 2.720 हेक्टेयर के

बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–27/10–11 दर्ज किया जाकर दिनांक 15–12–2010 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमियों का बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–8–2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर, अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया कि वे वाद भूमि में हित रखने वाले सभी पक्षकारों एवं अपीलार्थीगण सहित चौहदी के काश्तकारों को आहूत कर उनके समक्ष वादित भूमि का फर्द बटान एवं फर्द नक्शा तैयार करें तथा विधिवत् पंचनामा सहित फर्द बटान एवं फर्द नक्शा इस न्यायालय में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–7–2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत सहखातेदारों के मध्य बटवारा किया जाता है और अनावेदकगण प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार नहीं हे ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों को देखे बिना मूल आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का मूल आदेश निरस्त किया गया है इसलिये उनके द्वारा पारित आदेश अंतिम प्रकृति का आदेश है, अंतरित प्रकृति का नहीं । अतः अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उनके समक्ष अपील प्रचलन योग्य नहीं है, त्रुटिपूर्ण होने से अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अनावेदकगण द्वारा जशोदाबाइ के मुख्त्यारआम से सर्वे नम्बर 110/1 की भूमि कय की गई है और सर्वे नम्बर 110/2 से उनका कोई लेना–देना नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा सर्वे नम्बर 110/2 का बटवारा किया गया है, सर्वे नम्बर 110/1 का नहीं, इसलिये अनावेदकगण को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था।

(5) तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् संयुक्त भूमिस्वामियों के मध्य बटवारा किया गया है जिससे सहस्वामी सहमत है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के विधिसंगत आदेश को निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(6) अभिलिखित सह भूमिस्वामियों के अतिरिक्त संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध किसी अन्य व्यक्ति को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है इसलिये भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 49(3) में हुये संशोधन के अनुरूप ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार को प्रकरण इस निर्देश के साथ भेजा गया है कि वाद भूमि में हित रखने वाले सभी पक्षकारों एवं अपीलार्थीगण सहित चौहदी के काश्तकारों को आहूत कर उनके समक्ष वादित भूमि का फर्द बटान एवं फर्द नक्शा तैयार करें तथा विधिवत् पंचनामा सहित फर्द बटान एवं फर्द नक्शा इस न्यायालय में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम नहीं होकर अंतरिम प्रकृति का है अतः इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है जिसमें हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

(2) अनावेदकगण द्वारा कय की गई भूमि बटवारे में अनावेदकगण को प्राप्त हुई है इसलिये उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाना है जहॉ आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है और वे साक्ष्य से यह प्रमाणित कर सकते हैं कि बटवारे में अनावेदकगण द्वारा कय की गई भूमि सम्मिलित नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदकगण सर्वे नम्बर 110/1 से प्रभावित है, जबकि तहसीलदार द्वारा सर्वे नम्बर 110/2 के संबंध में बटवारा आदेश पारित किया गया है । सर्वे नम्बर 110/1 के संबंध में आदेश पारित नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा नक्शे में बटांन करने का अभी कोई आदेश नहीं दिया गया है, अतः अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील मात्र अनुमान पर आधारित है क्योंकि तहसीलदार के आदेश से अनावेदकगण प्रभावित नहीं है । बटांन डालने की कार्यवाही जिस समय होगी तब उसको नियमानुसार चुनौती दी जा सकती है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–7–2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–8–2014 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर